परिशिष्ट [13/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 813]

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक F- UDH/12/0001/2022/18-3,

भोपाल, दिनांक 20 / 12 / 2022

प्रति,

उप सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय
मध्यप्रदेश।

विषय :– ग्राम पंचायत इकलहरा, जिला छिन्दवाड़ा को नगर परिषद का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:– आपकी टीप क्रमांक 4064/सीएमएस/एसएलए/2021, दिनांक 18.08.2021

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि ग्राम पंचायत इकलहरा जिला छिन्दवाड़ा को नगर परिषद बनाये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 दिसम्बर 2011 में विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 01 (जनसंख्या 20 हजार से कम न हो, इसमें से जनसंख्या का 60 प्रतिशत सघन जनसंख्या हो) होना आवश्यक हैं। ग्राम पंचायत इकलहरा चार ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर परिषद गठन हेतु जनसंख्या संबंधी मापदण्ड पूर्ण करती हैं किंतु जनसंख्या की 60 प्रतिशत सघनता के मापदण्ड को पूर्ण नही करती है। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत इकलहरा के गठन के प्रस्ताव को माननीय मंत्रीजी के प्रशासकीय अनुमोदन से अमान्य किया गया है।

कृपया उक्त प्रकरण सी.एम. मॉनिट की सूची से विलोपित करने का कष्ट करें।

DD-RS 2995 23-12-22

10375 21/12/22

AD (13)

(आर.के. कार्तिकेय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं अवास विभाग

पृ.क्रमांक F- UDH/12/0001/2022/18-3,

भोपाल, दिनांक 20 / 12 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 14602, दिनांक 22.08.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला–छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

No. 2731 AC (SS) UAD
Dated 22/12/22

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

सहायक संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

OIC ACSI
नियमानुसार परीक्षण कर तत्काल निराकरण करें।

O.C. DD CRS
कृपया परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
संचालनालय

अपर आयुक्त

952 21/12/22

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

e/sanjay yadav/2020/latter2020